

जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में नयी पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन हेतु डी0पी0आर0 गठन एवं तकनीकी अनुमोदन के सन्दर्भ में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक- 15.11.2022 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 15.11.2022 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी कौशाम्बी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे।

1	जिलाधिकारी, कौशाम्बी।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।	उपाध्यक्ष
3	प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
4	मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
7	जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
8	जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
9	जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
10	अधिशाली अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, कौशाम्बी।	सदस्य सचिव
11	अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।	कार्यवाही संस्था
12	प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0), कौशाम्बी।	

सर्वप्रथम अधिशाली अभियन्ता जल निगम द्वारा पूर्व की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, जिसका समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी0डब्ल्यू0एस0एम0, कौशाम्बी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अधिशाली अभियन्ता जल निगम/सदस्य सचिव द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित फर्म द्वारा जनपद कौशाम्बी में जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों में से 13 नग नयी पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

(रु. 05.00 करोड से कम लागत के डी0पी0आर0)

क्र0 सं0	विधाना समा क्षेत्र का नाम	पेयजल योजना का नाम	विकास खण्ड	योजना में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की सं0	कुल वर्क कास्ट (रु0 लाख में)	सेन्टेज (रु0 लाख में)	कुल डी0पी0आर0 लागत (रु0 लाख में)	डिजाइन वर्ष में प्रति व्यक्ति लागत (रु0 हजार में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SIRATHU	RAGHAWAPUR- SHAURAI KHURD (GOV)	SIRATHU	2	842	336.37	35.63	372.00	5496
2	SIRATHU	JUWARA	SIRATHU	1	414	206.64	21.89	228.54	6042
3	SIRATHU	TERAHRA	SIRATHU	1	376	131.37	13.92	145.29	4468
4	SIRATHU	BICCHAURA	SIRATHU	1	246	129.80	13.75	143.55	6760
5	SIRATHU	PAHARPUR	SIRATHU	1	353	176.46	18.69	195.16	5268
6	SIRATHU	ICHAULI	SIRATHU	1	290	143.57	15.21	158.77	5146
7	SIRATHU	AHIRARA	SIRATHU	2	804	366.54	38.83	405.37	5874
8	SIRATHU	MAKANPUR WARI- MIRJAPUR JAWAI (GOV)	SIRATHU	2	511	295.18	31.27	326.45	6111
9	SIRATHU	NIDHIYAWAN	SIRATHU	1	473	235.01	24.90	259.91	6250
10	SIRATHU	BARIPUR	SIRATHU	1	320	159.90	16.94	176.83	5514
11	MANJHANPUR	KORIPUR	SARSAWAN	2	572	270.69	28.67	299.37	5403
12	MANJHANPUR	TAIYABPUR MANGOURA	MANJHANPUR	2	782	355.48	37.66	393.14	5905
13	MANJHANPUR	CHAK SAIYED ALIPUR	MANJHANPUR	2	590	327.99	34.74	362.73	6905

अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत किये जा रहे डी0पी0आर0 में प्रस्तावित कार्य का स्थलीय परीक्षण जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता(एस0डब्ल्यू0एस0एम0) द्वारा किया गया है, तदोपरान्त उसकी तकनीकी स्वीकृति उ0प्र0 जल निगम के सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी है।

बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गये :-

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष प्रस्तुत की गयी 13 नग नयी पेयजल योजना के डी0पी0आर0 को इस प्रतिबद्धता के साथ अनुमोदन हेतु निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त आगणन के कार्यों के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसे सुनिश्चित करने एवं अनुपालन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0), का होगा।

(कार्यवाही- मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0).)



- जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति मे० बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०) द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण जल निगम से कराने के उपरान्त प्रेषित किया जा रहा है। उक्त प्राक्कलन में यदि भविष्य में अन्य संस्था/जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्यों के विपरीत विरचन अथवा दरों में भिन्नता परिलक्षित होती है तो इसका सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा। साथ ही साथ फर्म उक्त डी०पी०आर० को अपने ध्यान पर संशोधित करेगी, जिसके लिए फर्म को कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

(कार्यवाही- मे० बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०))

- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र सं० 344/डब्ल्यू-17/2020-21 दिनांक 04.06.2021 के क्रम में 6.50 घंटे पम्पिंग होवर को लेते हुए वर्ष 2038 हेतु डिजाइन किया गया है। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त टेल इन्ड एवं क्रिटिकल प्वाइंट पर मिनिमम टर्मिनल हेड 07 मीटर प्राप्त किया जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म मे० बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०) की होगी। इनका अन्तिम भुगतान फर्म द्वारा प्रमाण पत्र एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग से सत्यापन कराने के उपरान्त किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सिंचाई विभाग/ मे० बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०))

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा शासनादेश संख्या 07/2022/430/छिहत्तर-1-2022-25सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2022 के क्रम सं० 05.00 करोड़ से कम लागत के 02 नग प्राक्कलनों को तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम/ मे० बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०))

अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि से जल जीवन मिशन फेज-3 के अवशेष प्राक्कलन तैयार करने के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी, जिस पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि दिनांक 23.07.2022 तक फर्म उक्त प्राक्कलन को प्रस्तुत करने की स्थिति में होगी। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को शीघ्रातिशीघ्र अवशेष प्राक्कलन को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सघन्यवाद समाप्त हुयी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) कौशाम्बी।

पत्रांक 1837 / 60-74 / 639 दिनांक - 29/11/2022

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
2. जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।
6. जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।
8. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई कौशाम्बी।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
10. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०), कौशाम्बी।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।